भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 988
25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

988. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के अंतर्गत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक वर्ग के लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त योजना के अन्य मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं जैसे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) और भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के साथ समन्वय से संबंधित ब्यौरा क्या है और वरिष्ठ नागरिकों को यदि वे चाहें तो, एबी पीएम-जेएवाई में परिवर्तन का विकल्प दिए जाने से संबंधित ब्यौरा क्या है;
(ग) इस विस्तार के लिए बजट आवंटन का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या वरिष्ठ नागरिकों को समय पर देखभाल प्रदान करने में योजना की प्रभावकारिता का पता लगाने और इस विस्तारित कवरेज के वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई निगरानी तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): दिनांक 30.06.2025 तक की स्थितिनुसार, तमिलनाडु में आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के कुल 17.44 लाख वरिष्ठ नागरिकों ने नामांकन कराया है।

(ख): एबी-पीएमजेएवाई का विस्तार अन्य मौजूदा जन स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के साथ संभावित ओवरलैप को दूर करने के लिए किया गया है। सीजीएचएस या ईसीएचएस जैसी किसी भी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पहले से ही कवर किए गए लाभार्थियों को अपने मौजूदा कवरेज को जारी रखने या एबी-पीएमजेएवाई में बदलाव करने का एकबारगी विकल्प दिया जाता है।

बीआईएस 2.0 में आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान यदि लाभार्थी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें एबी-पीएमजेएवाई को चुनने से संबंधित घोषणा करनी होगी।

(ग): आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत आयुष्मान वय वंदना योजना के विस्तार हेतु केंद्रीय अंश के रूप में वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹2,165 करोड़ आवंटित किए गए हैं। एबी-पीएमजेएवाई का वित्तपोषण पूरी तरह से मांग पर आधारित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना कार्यान्वयन हेतु उनसे प्राप्त वास्तविक मांग के आधार पर धनराशि जारी करता है।

(घ): वय वंदना योजना की प्रगति और प्रभावशीलता की निगरानी के लिए एक रीयल-टाइम आईटी डैशबोर्ड निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है। उन्नत विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड का उपयोग प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) जैसे कार्ड बनाने, अस्पताल में भर्ती होने की अनुमति, दावा निपटान की समय-सीमा और वरिष्ठ नागरिकों सहित लाभार्थी जनसांख्यिकी को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। सभी राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों को डैशबोर्ड प्रयोग करने के लिए राज्य-विशिष्ट लॉग-इन आईडी दी गई हैं।

*****